FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

भागचन्द चोधरी पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट उम्र 51 साल निवासी ग्राम झाडोल तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य –वादी

बनाम

- सायर पत्नि श्री रामदेव जाट जाति जाट निवासी ग्राम झाडोल तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य। –प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 33/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/............

वकील वादीः– योगेश शर्मा

वकील प्रतिवादीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.6.25	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 25/07/25 ...... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर रहने। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.............. दिनांक 03/9/25 को पेश हो।	
03/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार वादी उप०। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 अनु०। तामील शुदा सम्मन नोटिस प्राप्त बावजूद तामील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 अनुपस्थित। बार-बार आवाजे लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी बहस एकपक्षीय दिनांक 10/9/25 को पेश हो।	

10/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 17.9.25 को पेश हो।

WB

17.9.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी जेरमक हो।

WB

श्रीमान्जी
रामछित
प्रभावित नहीं
होता है

NTC

...यालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2025 उनवान भागचन्द बनाम शायर वगैरह:**

1. भागचन्द चौधरी पुत्र श्री श्योकरण, जाति जाट, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी ग्राम झाडोल तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

2. नोरती पत्नि श्री भागचन्द जाति जाट, उम्र लगभग 49 वर्ष, निवासी ग्राम झाडोल तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सायर पत्नि श्री रामदेव जाट, जाति जाट, निवासी ग्राम झाडोल, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

2. गीता पत्नि स्व. किशोर जाति साधु, निवासी ग्राम झाडोल, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

3. गोतम पुत्र भूरा जाति साधु, निवासी ग्राम झाडोल, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

4. नाथू पुत्र किशोर जाति साधु, निवासी ग्राम झाडोल, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान

5. ग्राम पंचायत मण्डांवरिया जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मण्डावरिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान

6. तहसीलदार अराई जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 17/9/25

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 30.6.2025 को दर्ज रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी संख्या 02 के वाके ग्राम झाडोल, पटवार हल्का झाडोल, भू. अ.नि.क्षेत्र आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित खातेदारी कृषि खसरा संख्या 885/524 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर (किस्म चाही–1), कुल खसरा–1 का कुल क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर है, जो सम्पूर्ण प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी कृषि भूमि है।प्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी कृषि खसरा संख्या 886/524 क्षेत्रफल 0.9142

uy

हैक्टेयर (किस्म चाही–1 (0.1780), चाही–3 (0.2751), प. बारानी (0.4611), कुल खसरा–1 का कुल क्षेत्रफल 0.9142 हैक्टेयर वाके ग्राम झाडोल, पटवार हल्का झाडोल, भू.अ.नि.क्षेत्र आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है, जो सम्पूर्ण प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहें है, तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि जो निम्नानुसार स्थित है:–

(अ) कृषि भूमि खसरा संख्या 885/524 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर :–

यह कि प्रार्थी संख्या 02 की भूमि खसरा संख्या 885/524 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 527 क्षेत्रफल 0.3560 हैक्टेयर (किस्म गै.मु. रास्ता) की भूमि है जो रास्ता होकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम झाडोल स्थित खसरा संख्या 887/524 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर की भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार है जो प्रार्थी संख्या 02 की भूमि खसरा संख्या 885/524 के पूर्व दिशा में स्थित है।तथा प्रार्थी संख्या 02 की भूमि खसरा संख्या 885/524 के दक्षिण दिशा में प्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि खसरा संख्या 886/524 क्षेत्रफल 0.9142 हैक्टेयर भूमि है।तथा प्रार्थी संख्या 02 की भूमि खसरा संख्या 885/524 के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 523 क्षेत्रफल 1.9173 हैक्टेयर की भूमि है जो आबादी में दर्ज होकर अप्रार्थी संख्या 05 ग्राम पंचायत मण्डावरिया के नाम है।

(ब) कृषि भूमि खसरा संख्या 886/524 क्षेत्रफल 0.9142 हैक्टेयर :–

प्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 886/524 के दक्षिण, पश्चिम दिशा में होती हुई पश्चिम–उत्तरी छोर से लगती हुई खसरा संख्या 523 क्षेत्रफल 1.9173 हैक्टेयर की भूमि है जो आबादी में दर्ज होकर अप्रार्थी संख्या 05 ग्राम पंचायत मण्डावरिया के नाम है।तथा प्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 886/524 के उत्तर दिशा में प्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि खसरा संख्या 885/524 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर भूमि है।तथा अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम झाडोल स्थित खसरा संख्या 887/524 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर की भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार है जो प्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 886/524 के उत्तर दिशा में स्थित है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगयत 4 ग्राम झाडोल स्थित खसरा संख्या 847/524 क्षेत्रफल 1.2378 हैक्टेयर की भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार है जो प्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 886/524 के पूर्व दिशा में स्थित है।प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य उपरोक्त भूमियों का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है। उपरोक्त खसरान् के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 5 के कार्यालय में सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर

पटवारी महोदय, झाड़ोल द्वारा दिनांक 26.05.2025 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया गया। जिसके पश्चात् भी उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को लेकर दिनांक 15.06.2025 को विवाद किया गया।वाद कारण दिनांक 15.06.2025 को प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण द्वारा सीमाओं के विवाद को लेकर प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करने से उत्पन्न हुआ है तथा प्रार्थीगण के कृषि कार्य में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा कारित करने तथा प्रार्थीगण के साथ सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहने से वाद कारण सतत जारी है।प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य स्पष्ट रेवेन्यू नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिये प्रार्थीगण को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी भूमियों के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढ़ी करवायी जानी न्यायहित में आवश्यक है ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके। चूंकि अप्रार्थी संख्या 6 राजस्व रिकार्ड संधारक है तथा राज्य सरकार का भू–अभिलेख प्रतिनिधि है इसलिये उपरोक्त सीमा विवाद एवं पत्थरगढी हेतु उसें आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी संख्या 02 की ग्राम झाडोल स्थित खातेदारी कृषि खसरा संख्या 885/524 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर (किस्म चाही–1) एवं प्रार्थी संख्या 01 की ग्राम झाडोल स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 886/524 क्षेत्रफल 0.9142 हैक्टेयर (किस्म चाही–1 (0.1780), चाही–3 (0.2751), प. बारानी (0.4611) की सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर, पत्थरगढी करवाकर प्रार्थी को राहत प्रदान करने की कृपा करें।प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावे।

पत्रावली बाद तलबी दिनांक 3.9.2025 को पेश हुई । तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 बावजूद तामिली के अनुपस्थित होने के कारण दिनांक .3.9.2025 को इनके के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई । दिनांक 17.9.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान की की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम झाडोल स्थित खातेदारी कृषि खसरा संख्या 885/524 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर (किस्म चाही–1) एवं प्रार्थी संख्या 01 की ग्राम झाडोल स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 886/524 क्षेत्रफल 0.9142 हैक्टेयर (किस्म चाही–1 (0.1780), चाही–3 (0.2751), प. बारानी (0.4611) सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है ।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम झाडोल तह0 अराई स्थित खातेदारी कृषि खसरा संख्या 885/524 क्षेत्रफल 0.1618 हैक्टेयर (किस्म चाही–1) एवं प्रार्थी संख्या 01 की ग्राम झाडोल तहसील अराई स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा

Wy

ख्या 886 / 524 क्षेत्रफल 0.9142 हैक्टेयर (किस्म चाही–1 (0.1780), चाही–3 (0.2751), प. बारानी (0.4611) का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000 / –रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000 / – रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17/9/25.........को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

(9:46 चउ, 3 / 9 / 2025) च्चं: 1.